

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रा० पत्र सं० 09/2014

1. श्री राजेश कुमार पुत्र स्व० श्री मोहनलाल शर्मा उम्र 53 वर्ष
2. श्री बृजेश कुमार पुत्र स्व० श्री मोहनलाल शर्मा उम्र 49 वर्ष
3. श्री योगेश कुमार पुत्र स्व० श्री मोहनलाल शर्मा उम्र 40 वर्ष
4. श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी स्व० मोहनलाल शर्मा उम्र 80 वर्ष
जाति ब्राह्मण निवासीगण बृज कुटीर, ब्यावर रोड, बिजयनगर
तहसील मसूदा हॉल बिजयनगर जिला अजमेर ।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री अभय कुमार सॉखला पुत्र स्व० श्री रतनलाल सॉखला जाति जैन निवासी स्थानक गली, बिजयनगर
तहसील मसूदा हॉल बिजयनगर जिला अजमेर ।
2. श्री रामचन्द्र पुत्र श्री बालू भांबी
3. श्री रामदेव पुत्र श्री बख्तावर भांबी
4. श्री नेमीचन्द्र पुत्र श्री आईदान नायक
निवासीगण ग्राम बडा आसन ग्राम पंचायत बाडी तहसील मसूदा हाल बिजयनगर जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर ।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:- आदेश :-

दिनांक 26.08.2016

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम बडा आसन पटवार हल्का बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न० 237 रकबा 05-12-00 बीघा भूमि उनकी खातेदारी की भूमि है। जिसकी सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 एवं प्रार्थी के मध्य विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण प्रश्नगत अराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्थरगढी करने के अप्रार्थी सं० 5 पर आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थीगण अपने अभिभाषक महोदय के साथ उपस्थित आये। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बडा आसन की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के खाता सं० 130 में प्रश्नगत अराजी खसरा सं० 237 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार बिजयनगर पर आदेश पारित किये जाते हैं कि वे प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदायगी पर प्रश्नगत अराजी का मौके पर सीमांकन कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार बिजयनगर को प्रकरण में रु. 1500/- पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम बडा आसन स्थित अराजी खसरा न० 237 की पत्थरगढी करावें।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2016 को सेर इजलास सुनाया गया।



(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक जिलाधीश, मसूदा

